चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत आज दिनांक 10.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह द्वारा ग्राम कुबरी मजरा रानीपुर में, थानाध्यक्ष महिला थाना द्वारा ज्ञान भारती इण्टर कालेज कर्वी में, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय राजापुर में, एण्टी रोमियों टीम मऊ द्वारा बालिका इण्टर कालेज मऊ में, एण्टी रोमियों टीम थाना पहाड़ी द्वारा ग्राम जरिहा में. एण्टी रोमियो टीम थाना सरधुवा द्वारा पंचायत भवन खोंपा में, एण्टी रोमियों टीम थाना भरतकूप द्वारा प्राथमिक विद्यालय भरतकूप एवं भरत मंदिर में, एण्टी रोमियों टीम थाना बरगढ़ द्वारा किला चौराहा कस्बा बरगढ़ में, एण्टी रोमियों टीम थाना रैपुरा द्वारा लालापुर मंदिर एवं कस्बा रैपुरा में, एण्टीरोमियों टीम थाना मारकुण्डी द्वारा ग्राम दीपू कोलन कस्बा में,एण्टीरोमियों टीम थाना बहिलपुरवा द्वारा रेलवे स्टेशन बहिलपुरवा में जागरुकता कार्यक्रम/चौपाल का आयोजन कर छात्राओं/महिलाओं को साइबर अपराधों के सम्बन्ध में जागरुक किया गया। इन कार्यक्रमों में छात्राओं को समाज में चल रहे साइबर अपराध के प्रति जागरुक करते हुये बताया गया कि सोशल मीडिया के प्रयोग करते समय अपने पासवर्ड किसी से साझा न करें तथा किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति को अपना ओटीपी न बतायें तथा साइबर सम्बन्धी अपराध की शिकायत हेतु साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल कॉल करें। इस दौरान छात्राओं को 1.मोबाइल कम्पनी से कॉल 2. ट्रू-कॉलर का दुरुपयोग 3. सोशल मीडिया के माध्य से आने वाली वीडियो कॉलिंग 4. सेल्फी से बायोमैट्रिक 5. डिजिटल अरेस्ट 6.वॉयस क्लोनिंग या कहें आवाज की मिमिक्री के द्वारा साइबर फ्रॉड 7.स्कूल गये बच्चों के नाम पर मैसेज/कॉल करके 8.कोरोना वैक्सीन के नाम पर कॉल करके 9.वाहन सीज कराने के नाम पर कॉल आदि के बारे में जानकारी देकर जागरुक किया गया।

इस दौरान छात्राओं को महिला सुरक्षा संबंधी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076–मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइऩ, 102-स्वास्थ्य सेवा आदि के विषय में जागरूक किया गया।

(2). आज दिनाँक 10.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शिवसागर दुबे तथा उनके हमराही होमगार्ड धनपत द्वारा वाद सं0 190/2023 धारा 125 सीआरपीसी के वारण्टी अभियुक्त लवकुश पुत्र कन्धई उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम नुनमई थाना रैपुरा जनपद को गिरफ्तार किया गया।

(4). आज दिनाँक 10.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गया।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज(सी0डि0) श्री सचिन कुमार दीक्षित द्वारा थाना कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0 270/2022 धारा 279,338,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रामेश्वर पुत्र शंकरलाल निवासी इलाहाबाद रोड शोभा सिंह का पुरवा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(6). आज दिनांक 10.10.2024 को शासन की मंशानुसार जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी एन एवं पुलिस अधीक्षक अरूण सिंह के निर्देशन में परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से 02 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा पखवाडा अंतर्गत सड़क यातायात जागरूकता एवं यातायात व्यवस्था कार्यक्रम का आयोजन सुषमा स्वरूप इण्टरनेशनल स्कूल अशोह पहाड़ी में किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी श्री वी0के0 शुक्ला ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी को वाहन में बैठते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से कहा कि वाहन में बच्चों के आवागमन के समय में परिचालक अवश्य होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी वाहन मानक के अनुरूप हों तथा चालक परिचालक वर्दी में हों। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग कतई न करें। वाहनों का पंजीयन, फिटनेस, बीमा, परमिट, प्रदूषण नियत्रंण प्रमाण पत्र आदि दुरूस्त होना चाहिए एवं वाहन चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य रूप से होना चाहिए। स्कूल के बच्चों से कहा कि सड़क पार करते समय यह जरूर ध्यान दे कि विपरीत दिशा से तेज वाहन तो नहीं आ रहा। पहले वाहन को निकल जाने दे बाद में सड़क पार करें।

पीटीओ सुश्री दीप्ती त्रिपाठी ने सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के महत्व को बताते हुए कहा कि यदि आप लोगों के समक्ष कोई दुर्घटना घटित होती है तो घबराए नहीं धैर्यता पूर्वक पुलिस को 112 नम्बर एवं 108 एम्बुलेस को तत्काल सूचित करें। उन्होंने कहा कि आप सभी बच्चे एक जिम्मेदार नागरिक का दायित्व निभाएं।

यातायात प्रभारी श्री शैलेन्द्र सिंह ने यातायात जागरूकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आप सभी लोग अपने घर के सदस्यों को जो वाहन चलाते हैं उन्हें दो पाहिया वाहन चालक हेलमेट लगाकर एवं चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट लगाकर अवश्य चलें। वाहन चलाते समय डीएल के साथ साथ वाहन से संबंधित सभी प्रपत्र अपने पास रखे। नाबालिक बच्चे वाहन बिल्कुल न चलाएं।

स्कूल को-आर्डीनेटर केशव शिवहरे ने कहा कि इस समय सर्वाधिक मौतें सड़क दुर्घटनों के कारण हो रही है जिसका मात्र कारण यातयात नियमों का पालन न करता है। वाहन चलाते समय लोग यातायात नियमों का अक्षरतः पालन नहीं करते जिसकी वजह से सड़क दुर्घटनों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। शासन द्वारा चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य है कि आप सभी लोग यातायात नियमों का पालन स्वयं करें एवं दूसरों को भी प्रेरित करे। ऐसे कार्यक्रमों की सार्थकता होगी। उन्हाने ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि दुर्घटना की सूचना देने वाले को आदर्श नागरिक मानते हुए संबंधित विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा साथ ही सूचना देने वाले

का नाम गोपनीय रखा जाएगा। उन्होने कहा कि स्कूल के संस्थापक अजय अग्रवाल का स्पष्ट निर्देश है कि स्कूल बसें एवं चालक पहिवहन नियमों के अनुरूप ही कार्य करें। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़ी के अधीक्षक डॉ उदय प्रकाश सिंह ने कहा कि दुर्घटना होने पर सर्व प्रथम एम्बुलेंस को फोन करना चाहिए क्योकि पीड़ित को सबसे पहले चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है, अक्सर ऐसा होता है कि पीड़ित व्यक्ति को समय से चिकित्सीय सुविधा न मिल पाने पर भी उसकी मौत हो जाती है। सभी छात्र-छात्रओं को यातायात नियमो की शपथ दिलाए गई। स्कूल प्रिंसिपल नीतू वर्मा आये हुए अतिथियों को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय द्वारा सदैव परिवहन विभाग एवं यातायात विभाग के द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाता है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम के विद्यालय में परिवहन सुरक्षा समिति का भी गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। कार्यक्रम समापन के प्रमुख जाने माने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धाजलि अर्पित की गई। इस मौके पर स्कूल के समस्त स्टाफ एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे।